



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1469]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2019/वैशाख 5, 1941

No. 1469]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2019/ VAISAKHA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

(आय-कर)

का.आ. 1653(अ).— भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच देश-दर-देश रिपोर्टों के आदान-प्रदान के लिए एक अंतर शासकीय करार किया गया था जिस पर तारीख 27 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार कहा गया है और जो इसके साथ उपाबंध के रूप में संलग्न है) ;

और उक्त करार, उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको दोनों पक्षकारों में से दूसरा पक्षकार, उक्त करार के अनुच्छेद 5 के पैरा (1) के अनुसार अन्य अधिकारिता वाली सरकार को लिखित अधिसूचना उपलब्ध करवाता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 286 की उपधारा (9) के खंड (ख) की मद (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त करार को अधिसूचित करती है जो इसके उपाबद्ध में उपवर्णित है और उक्त करार के सभी उपबंधों को, उक्त करार के अनुच्छेद 5 के पैरा (1) के अनुसार भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 37/2019/फा.सं.500/15/2015-एपीए-1]

रश्मि रंजन दास, संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-1)

उपाबंध

देश-दर-देश रिपोर्टों के आदान-प्रदान पर भारत गणतंत्र की सरकार

और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच करार

जबकि भारत गणतंत्र की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार (प्रत्येक, एक "पक्षकार" और एक साथ, "पक्षकार") उन कर सम्बन्धी अधिकारिताओं के बीच, अन्तर्राष्ट्रीय पारदर्शिता को बढ़ाने और आय, संदत्त करों के वैश्विक आबंटन और आर्थिक क्रिया-कलाप के अवस्थान के कतिपय उपदर्शकों के बारे में सूचना तक अपने-अपने सम्बन्धित कर प्राधिकारियों की पहुंच का सुधार करने के लिए करार

की बांछा करती हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह ("एमएनईसमूह") उच्च स्तरीय अंतरण कीमत निर्धारण जोखिमों और अन्य आधारित ह्रास तथा लाभ परिवर्तन सम्बद्ध जोखिम की दृष्टि से और साथ ही जहां उचित हो, वहां आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए वार्षिक देश-दर-देश रिपोर्टों ["सीबीसी रिपोर्ट"] के स्वतः आदान-प्रदान के माध्यम से कार्य करते हैं ;

जबकि सीबीसी रिपोर्ट अंतरण कीमत निर्धारण प्रलेखीकरण के प्रति मानकीकृत दृष्टिकोण का एक तत्व है, जो दक्ष और उत्तम अंतरण कीमत निर्धारण जोखिम मूल्यांकन विश्लेषण निष्पादित करने के लिए कर-प्रशासनों को सुसंगत और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने का आशय रखती है ;

जबकि भारत गणतंत्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की विधियां एमएनई समूह के रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व से सीबीसी रिपोर्ट को वार्षिक रूप से फाइल करने की अपेक्षा करती हैं ;

जबकि, आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिवर्जन और राजकोषीय अपवंचन निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच अभिसमय, सम्बद्ध नवाचार ("अभिसमय") के साथ, 12 सितम्बर, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था, का अनुच्छेद 28 (सूचना का आदान-प्रदान और प्रशासनिक सहायता) कर प्रयोजनों की सूचना के आदान-प्रदान, जिसमें सूचना का स्वतः आदान-प्रदान भी है, को प्राधिकृत करता है।

अतः, अब, पक्षकारों ने निम्नलिखित रूप में करार किया है :

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों तथा इस करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 2 में वर्णित व्यवस्था के लिए, निम्नलिखित पदों का वही अर्थ होगा जो नीचे उपवर्णित है :-

- (क) "समूह" पद से ऐसे स्वामित्व या नियंत्रण के माध्यम से सम्बद्ध उद्यमों का संग्रहण अभिप्रेत है कि यह या तो लागू लेखा सिद्धांतों के अधीन वित्तीय रिपोर्ट करने वाले प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपेक्षित है या इस प्रकार अपेक्षित होगी यदि किसी भी उद्यम में साम्य हितों का किसी लोक प्रतिभूति विनिमय पर व्यापार किया गया था;
- (ख) "बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह" या "एमएनई समूह" पद से ऐसा कोई समूह अभिप्रेत है जिसमें (i) दो या दो से अधिक उद्यम सम्मिलित हैं, जिनका कर निवास भिन्न-भिन्न अधिकारिताओं में है या उसमें ऐसा कोई उद्यम सम्मिलित है जो एक अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी है और किसी अन्य अधिकारिता में स्थायी स्थापन के माध्यम से किए गए कारबार के सम्बन्ध में कर के अध्यक्षीन है और (ii) अपवर्जित एमएनई समूह नहीं है;
- (ग) "अपवर्जित एमएनई समूह" पद से ऐसा समूह अभिप्रेत है जिसकी इस आधार पर सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि रिपोर्ट राजवित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व राजवित्तीय वर्ष के दौरान समूह के वार्षिक समेकित समूह राजस्व, जो ऐसे पूर्ववर्ती राजवित्तीय वर्ष के लिए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित हैं, उस अवसीमा से कम हैं जिसे रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के कर निवास की अधिकारिता द्वारा घरेलू विधि में परिभाषित किया गया है और 2015-रिपोर्ट से संगत है (पूर्वगामी प्रयोजनों के लिए अवसीमा के अन्तर्गत ऐसे कोई उपांतरण भी हैं जो 2015 रिपोर्ट में अनुज्ञात 2020 पुनर्विलोकन के परिणाम से हो सकते हैं) ;
- (घ) "संघटक अस्तित्व" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-
 - (i) संयुक्त राज्य अमेरिका में कर प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व निवासी वाले एमएनई समूह के सम्बन्ध में, सुसंगत यूएस कोषागार विनियमों में यथा-परिभाषित कोई "संघटक अस्तित्व";
 - (ii) भारत में कर प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व निवासी वाले एमएनई समूह के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम, 1961 की सुसंगत धारा में यथापरिभाषित कोई "संघटक अस्तित्व" ;
- (ङ) "रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व" पद से ऐसा संघटक अस्तित्व अभिप्रेत है जो करनिवास की अपनी अधिकारिता में घरेलू विधि के आधार पर एमएनई समूह की ओर से ऐसा करने के लिए अपनी हैसियत से सीबीसी रिपोर्ट फाइल करता है ;

- (च) "सीबीसी रिपोर्ट" पद से देश-दर-देश रिपोर्ट अभिप्रेत है जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के कर निवास की अधिकारिता की विधियों के अनुसार और मर्दों को आच्छादित करने वाली ऐसी विधियों के अधीन रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित सूचना के अनुसार तथा 2015 रिपोर्ट में उपवर्णित रूप-विधान को परिलक्षित करते हुए वार्षिक रूप से फाइल की जानी है (पूर्वगामी प्रयोजनों के लिए, सूचना और रूप-विधान में ऐसे कोई उपांतरण सम्मिलित हैं जिनका 2015 रिपोर्ट में अनुध्यात 2020 पुनर्विलोकन से प्रतिफल हो);
- (छ) "राजकोषीय वर्ष" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-
- (i) संयुक्त राज्य अमेरिका में कर प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व निवासी वाले एमएमई समूह के सम्बन्ध में, सुसंगत यूएस कोषागार विनियमों में यथा-परिभाषित कोई "रिपोर्ट अवधि";
- (ii) भारत में कर प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व निवासी वाले एमएनई समूह के सम्बन्ध में, आयकर अधिनियम, 1961 की सुसंगत धारा में यथापरिभाषित "रिपोर्ट लेखा वर्ष"; और
- (ज) "2015 रिपोर्ट" पद से आधार ह्रास और लाभ परिवर्तन पर ओईसीडी/जी20 की कार्रवाई योजना की कार्रवाई-13 पर, अंतरण कीमत निर्धारण प्रलेखीकरण और देश-दर-देश रिपोर्ट करने वाली अंतिम समेकित नामक रिपोर्ट अभिप्रेत है।

2. "संयुक्त राज्य अमेरिका", "भारत", "सक्षम प्राधिकारी" और "संविदाकारी राज्य" पदों का वही अर्थ होगा जो अभिसमय में उनका है।

3. जहां तक किसी पक्षकार द्वारा किसी भी समय इस करार के लागू होने का सम्बन्ध है, इस करार में किसी पद का, जो अन्यथा परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो या सक्षम प्राधिकारी सामान्य अर्थ से सहमत न हों (जैसा घरेलू विधि द्वारा अनुज्ञात किया गया है) वही अर्थ होगा जो उसका इस करार को लागू करने वाले पक्षकार की विधियों के अधीन उस समय है, उस पक्षकार की लागू कर विधियों के अधीन कोई अर्थ यदि उस समय है तो वह अर्थ अन्य विधियों के अधीन पद को समनुदेशित अर्थ के सम्बन्ध में अभिभावी होगा।

अनुच्छेद 2

एमएनई समूह के सम्बन्ध में सूचना का आदान-प्रदान

1. अभिसमय के अनुच्छेद 28 के उपबंधों के अनुसरण में, प्रत्येक पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक रिपोर्ट करने वाले ऐसे अस्तित्व से, जो कर प्रयोजनों के लिए अपनी अधिकारिता में निवासी है, से प्राप्त सीबीसी रिपोर्ट, स्वतः आधार पर, अन्य पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से वार्षिक रूप से आदान-प्रदान करेगा यदि सीबीसी रिपोर्ट में दी गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के एमएनई समूह के एक या अधिक संघटक अस्तित्व अन्य सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं या अन्य सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता में स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से किए गए कारबार के सम्बन्ध में कर के अध्यधीन हैं।

2. सक्षम प्राधिकारी अभिसमय के अनुच्छेद 27 के लिए उपबंधित पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन व्यवस्था ("व्यवस्था") पर हस्ताक्षर करेंगे, जो:-

- (क) इस करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 1 में वर्णित सीबीसी रिपोर्टों के आदान-प्रदान के समय और उसकी रीति के लिए प्रक्रिया स्थापित करेगा ;
- (ख) इस करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 1 में वर्णित सीबीसी रिपोर्टों के आदान-प्रदान में पारेषण और त्रुटियों पर सहयोग के लिए प्रक्रिया उपवर्णित करेगा ;
- (ग) इस करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 1 में वर्णित सीबीसी रिपोर्टों के सम्बन्ध में गोपनीयता, डाटा सुरक्षोपायों और समुचित उपयोग के लिए उपबंध करेगा ;
- (घ) इस करार के अनुच्छेद 2 के पैरा 1 में वर्णित सीबीसी रिपोर्टों के सम्बन्ध में परामर्श के लिए उपबंध करेगा ; और
- (ङ) व्यवस्था के लिए उपांतरणों और उसके निबंधनों के लिए उपबंध करेगा ।

व्यवस्था इस करार और अभिसमय से संगत होगा ।

अनुच्छेद 3**गोपनीयता और उपयोग की सीमा**

आदान-प्रदान की गई सभी सूचनाएं अभिसमय में उपबंध किए गए गोपनीयता और अन्य संरक्षण, जिनके अन्तर्गत आदान-प्रदान की गई सूचना के उपयोग को परिसीमित करने वाले उपबंध भी हैं, के अधीन होंगी। इस करार के पर्यवसान की दशा में इस करार के अधीन पूर्व में आदान-प्रदान की गई सभी सूचनाएं अभिसमय के ऐसे निबंधनों के अधीन रहेंगी।

अनुच्छेद 4**परामर्श और संशोधन**

1. यदि इस करार के कार्यान्वयन में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो कोई भी पक्षकार इस करार के पूरे किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करने के लिए परामर्शों के लिए अनुरोध कर सकेगा।
2. इस करार को पक्षकारों के लिखित पारस्परिक करार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। जब तक अन्यथा करार न पाया जाए, ऐसा संशोधन इस करार के अनुच्छेद 5 के पैरा 1 में यथा-उपवर्णित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 5**करार की अवधि**

1. यह करार उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको दो पक्षकारों में से दूसरे पक्षकार ने अन्य अधिकारिता की सरकार को लिखित अधिसूचना उपलब्ध कराई है कि इस करार के प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तथापि, इस करार के अधीन सूचना का आदान-प्रदान तब तक प्रारम्भ नहीं होगा, जब तक व्यवस्था इसके निबंधनों के अनुसार प्रवर्तनशील नहीं हो जाता है।
2. यह करार (1) अभिसमय के पर्यवसान की तारीख को या (2) उस तारीख को, जिसको कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को लिखित में पर्यवसान का नोटिस उपलब्ध कराता है, के पश्चात् बारह मास की अवधि की समाप्ति के बाद आने वाले मास के पहले दिन को, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किए जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

यह करार दो प्रतियों में आज तारीख 27 मार्च, वर्ष 2019 को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में, जिनके दोनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं, किया गया। दो पाठों के बीच अन्तर होने की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणतंत्र की
सरकार के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका
की सरकार के लिए

पी. सी. मोदी
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(केनेथ आई जस्टर)
(भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 25th April, 2019**(INCOME TAX)**

S.O.1653(E).—Whereas an Inter-Governmental Agreement for Exchange of Country-by-Country Reports was entered into by the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America, which was signed at New Delhi on 27th day of March, 2019 (hereinafter referred to as the said Agreement and enclosed herewith as Annexure);

And whereas, the said Agreement shall enter into force on the date on which the second of the two Parties has provided a written notification to the Government of the other jurisdiction in accordance with paragraph (1) of Article 5 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by item (ii) of clause (b) of sub-section (9) of section 286 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the said Agreement, as set out in the Annexure hereto, and all the provision of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India in accordance with paragraph (1) of Article 5 of the said Agreement.

[Notification No. 37/2019/F.No. 500/15/2015-APA-I]

RASMI RANJAN DAS, Jt. Secy. (FT&TR-I)

ANNEXURE

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE EXCHANGE OF
COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS**

Whereas the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America (each, a “Party,” and together, the “Parties”) desire to conclude an agreement to increase international tax transparency and improve access of their respective tax authorities to information regarding the global allocation of income, taxes paid, and certain indicators of the location of economic activity among tax jurisdictions in which multinational enterprise groups (“MNE Groups”) operate through the automatic exchange of annual country-by-country reports (“CbC Reports”), with a view to assessing high-level transfer pricing risks and other base erosion and profit shifting related risks, as well as for economic and statistical analysis, where appropriate;

Whereas the CbC Report is one element of a standardized approach to transfer pricing documentation which is intended to provide tax administrations with relevant and reliable information to perform an efficient and robust transfer pricing risk assessment analysis;

Whereas the laws of the Republic of India and the United States of America require the reporting entity of an MNE Group to annually file a CbC Report;

Whereas Article 28 (Exchange of Information and Administrative Assistance) of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, together with a related protocol (the “Convention”), signed at New Delhi on 12th September 1989 authorizes the exchange of information for tax purposes, including the automatic exchange of information;

Now, therefore, the Parties have agreed as follows:

ARTICLE 1*Definitions*

1. For the purposes of this Agreement and the Arrangement described in paragraph 2 to Article 2 of this Agreement, the following terms shall have the meanings set forth below:

- a) the term “Group” means a collection of enterprises related through ownership or control such that it is either required to prepare consolidated financial statements for financial reporting purposes under applicable accounting principles or would be so required if equity interests in any of the enterprises were traded on a public securities exchange;
- b) the term “multinational enterprise group” or “MNE Group” means any Group that (i) includes two or more enterprises the tax residences of which are in different jurisdictions, or includes an enterprise that is resident for tax purposes in one jurisdiction and is subject to tax with respect to the business carried out through a permanent establishment in another jurisdiction, and (ii) is not an Excluded MNE Group;
- c) the term “Excluded MNE Group” means a Group that is not required to file a CbC Report on the basis that the annual consolidated group revenue of the Group during the fiscal year immediately preceding the reporting fiscal year, as reflected in its consolidated financial statements for such preceding fiscal year, is below the threshold that is defined in domestic law by the jurisdiction of tax residence of the Reporting Entity and is consistent with the 2015 Report (for purposes of the foregoing, the threshold includes any modifications that may result from the 2020 review contemplated in the 2015 Report);
- d) the term “Constituent Entity” means:
 - (i) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in the United States, any “Constituent Entity” as defined in the relevant U.S. Treasury regulations; and
 - (ii) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in India, any “constituent entity” as defined in the relevant section of the Income-tax Act, 1961;
- e) the term “Reporting Entity” means the Constituent Entity that, by virtue of domestic law in its jurisdiction of tax residence, files the CbC Report in its capacity to do so on behalf of the MNE Group;
- f) the term “CbC Report” means the Country-by-Country Report to be filed annually by the Reporting Entity in accordance with the laws of its jurisdiction of tax residence and with the information required to be reported under such laws covering the items and reflecting the format set out in the 2015 Report (for purposes of the foregoing, the information and format includes any modifications that result from the 2020 review contemplated in the 2015 Report);
- g) the term “Fiscal Year” means:
 - (i) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in the United States, the “Reporting Period” as defined in the relevant U.S. Treasury regulations; and
 - (ii) with respect to an MNE Group having a Reporting Entity resident for tax purposes in India, the “reporting accounting year” as defined in the relevant section of the Income-tax Act, 1961; and
- h) the term “2015 Report” means the final consolidated report, entitled Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, on Action 13 of the OECD/ G20 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.

2. The terms “United States”, “India”, “Competent Authority”, and “Contracting State” have the meaning they have in the Convention.

3. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not otherwise defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires or the Competent Authorities agree to a common meaning (as permitted by domestic law), have the meaning that it has at that time under the laws of the Party applying this

Agreement, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

ARTICLE 2

Exchange of Information with Respect to MNE Groups

1. Pursuant to the provisions of Article 28 of the Convention, the Competent Authority of each Party shall exchange with the Competent Authority of the other Party annually, on an automatic basis, the CbC Report received from each Reporting Entity that is resident for tax purposes in its jurisdiction, provided that, on the basis of the information provided in the CbC Report, one or more Constituent Entities of the MNE Group of the Reporting Entity are resident for tax purposes in the jurisdiction of the other Competent Authority, or are subject to tax with respect to the business carried out through a permanent establishment situated in the jurisdiction of the other Competent Authority.

2. The Competent Authorities shall sign an arrangement under the mutual agreement procedure provided for in Article 27 of the Convention (the "Arrangement"), which shall:

- a) establish the procedure for the time and manner of the exchange of the CbC Reports described in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;
- b) set forth the procedure for collaboration on transmission and errors in the exchange of the CbC Reports described in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;
- c) provide for confidentiality, data safeguards, and appropriate use with respect to the CbC Reports described in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement;
- d) provide for consultations with respect to the CbC Reports described in paragraph 1 of Article 2 of this Agreement; and
- e) provide for modifications to, and term of, the Arrangement.

The Arrangement shall be consistent with this Agreement and the Convention.

ARTICLE 3

Confidentiality and Limitation of Use

All information exchanged shall be subject to the confidentiality and other protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged. In the event of termination of this Agreement, all information previously exchanged under this Agreement shall remain subject to such terms of the Convention.

ARTICLE 4

Consultations and Amendments

1. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise, either Party may request consultations to develop appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement.

2. This Agreement may be amended by written mutual agreement of the Parties. Unless otherwise agreed upon, such an amendment shall enter into force through the same procedures as set forth in paragraph 1 of Article 5 of this Agreement.

ARTICLE 5

Term of the Agreement

1. This Agreement shall enter into force on the date on which the second of the two Parties has provided a written notification to the Government of the other jurisdiction that the necessary internal procedures for entry into force of this Agreement have been completed. However, exchange of information under this Agreement shall not commence until the Arrangement is operative by its terms.

2. This Agreement shall terminate on the earlier of (1) the date of termination of the Convention or (2) the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date upon which either Party provides notice of termination in writing to the other Party.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New Delhi, in duplicate, this 27th day of March, 2019, in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA:

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:

P.C. Mody
Chairman, Central Board of
Direct Taxes

Kenneth I. Juster
Ambassador of the United
States to India